

झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, राँची – 834001

विज्ञापन

ऑनलाईन (Online) आवेदन प्राप्ति की
अंतिम तिथि- 08.05.2020

विज्ञापन संख्या-02/2020

झारखण्ड राज्य के चिकित्सा पदाधिकारी (नियमित) के पदों पर सीधी नियुक्ति परीक्षा

झारखण्ड राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत चिकित्सा पदाधिकारी के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु प्रेषित पत्रांक-2/स्था डी0-01-120/2008-17(3) दिनांक-22.01.2020 द्वारा अध्याचना के अनुरूप संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित-प्रपत्र में Online आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं जो आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

क्र० सं०	पद का नाम	कुल पद	कोटिवार रिक्तियाँ						क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत प्रवर्ग कोटि का विवरण						
			अनारक्षित	अ0ज0जा0	अ0जा0	अ0पि0व0 (अनु0-I)	पि0व0 (अनु0-II)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	आदिम जनजाति	महिला	खेल कूद	दिव्यांग			(घ) स्वलीनता (Autism), बौद्धिक निःशक्तता, सीखने की विशेष अक्षमता एवं मानसिक रोगी, और, या (ङ) बहु निःशक्तता (Multiple disabilities) जो (क) से (घ) के बीच में निःशक्तता के विभिन्न से स्थितियों के मिलने से हो, यह स्थिति अंधापन एवं बहरापन के मिलने से आ सकता है।
1		380	161	124	16	32	10	37	02	19	08	00	00	15	
1.	चिकित्सा पदाधिकारी	380	161	124	16	32	10	37	02	19	08	00	00	15	00

नोट:- कोटिवार रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

- वेतनमान – PB-II, रू0 9300-34800 ग्रेड वेतन रू0 – 5400 (level-9)
- पद – स्थायी
- परीक्ष्यमान अवधि – 2 (दो) वर्ष
- अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव:-

पद	शैक्षणिक अर्हता	अनुभव
चिकित्सा पदाधिकारी	भारतीय चिकित्सा परिषद् तथा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से एम0 बी0 बी0 एस0 की उपाधि तथा चिकित्सक के रूप में निर्बंधित होना आवश्यक होगा।	मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल से कम से कम एक वर्ष की इन्टर्नशिप।

Post	Educational Qualification	Experience
Medical Officer	M.B.B.S. From Medical College recognized by medical Council of India and recognized by State Govt.	Atleast One year Internship From recognized Medical College & Hospital.

6. उम्र गणना की तिथि:—01.08.2020

(a) न्यूनतम उम्र सीमा :- 23 वर्ष।

(b) अधिकतम उम्र सीमा :- अधिसूचना संख्या-609 दिनांक-25.01.2016 कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अनुरूप अधिकतम उम्र सीमा निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	कोटि	अधिकतम उम्र सीमा
1.	अनारक्षित	35 वर्ष
2.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II)	37 वर्ष
3.	महिला (अनारक्षित/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II)	38 वर्ष
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)	40 वर्ष

(c) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक-7636 दिनांक-12.10.2018 के अनुरूप दिव्यांगों को उनकी आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट देय है।

(d) निःशक्तजन के आरक्षण के लिए निःशक्तता की मात्रा :- केवल ऐसे अभ्यर्थी आरक्षण के लिए पात्र होंगे जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हो तथा इस निमित्त विहित चिकित्सा प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। विहित प्रमाण पत्र का प्रपत्र आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर विज्ञापन के साथ उपलब्ध है।

7. नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया :- अभ्यर्थियों का चयन भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा एम० बी० बी० एस० के लिए निर्धारित स्तर का लिखित एवं मौखिक प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगा।

लिखित एवं मौखिक परीक्षा का स्वरूप :-

क) लिखित परीक्षा :- यह Multiple Choice Objective Type होगी, जिसमें 100-100 अंको के निम्न 4 (चार) पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र के लिए 2 (दो) घण्टे का समय निर्धारित रहेगा।

(i)	प्रथम पत्र	-	औषधि (सामान्य)	-	100 अंक
(ii)	द्वितीय पत्र	-	(क) शिशु रोग	-	40 अंक
		-	(ख) शिशु कल्याण	-	60 अंक
		-	एवं परिवार नियोजन सहित	-	100 अंक
		-	निवारक औषधि एवं सामुदायिक स्वास्थ्य।		
(iii)	तृतीय पत्र	-	(क) शल्यचिकित्सा (सामान्य)	-	60 अंक
		-	(ख) ऑर्थोपेडिक सहित	-	40 अंक
		-	विकलांग विज्ञान।	-	100 अंक
(iv) (iii)	चतुर्थ पत्र	-	(क) आँख	-	25 अंक
		-	(ख) कान, नाक एवं गला	-	25 अंक
		-	(ग) प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान	-	50 अंक
		-		-	100 अंक
	ख) मौखिक परीक्षा	-		-	40 अंक

ग) पाठ्यक्रम – संबंधित विषयों का पाठ्यक्रम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा।

घ) न्यूनतम अहर्तांक :- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक-13026 दिनांक-27.11.2012 एवं संकल्प ज्ञापांक-7358 दिनांक-12.09.2019 के अनुरूप न्यूनतम अहर्तांक निम्नवत् है :-

सामान्य वर्ग	40 %
पिछड़ा वर्ग (एनेक्चर-II)	36.5 %
पिछड़ा वर्ग (एनेक्चर-I)	34 %
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32 %
आदिम जनजाति	30 %

नोट :- 1 अन्तर्वीक्षा के लिए भी उपरोक्त न्यूनतम अहर्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

2. विज्ञापित रिक्ति के पाँचगुणा से कम या पाँचगुणा के अनुपात में आवेदन पत्र प्राप्त होने के स्थिति में झारखण्ड लोक सेवा आयोग साक्षात्कार समिति द्वारा सीधे साक्षात्कार के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों के चयन कर अनुशंसा संबंधित विभाग को भेजी जायेगी।

3. साक्षात्कार का आयोजन आयोग के Rules of Procedure, 2002 के प्रावधानों के अनुरूप होगा।

8. आरक्षण का लाभ :-

(a) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को (राज्य सरकार के पत्रांक-1754 दिनांक- 25.02.2019 के अनुसार) झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार यथा जिला दंडाधिकारी/अपर दंडाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/अनुमंडल दंडाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी/सहायक समाहर्ता एवं सहायक दंडाधिकारी/अंचल अधिकारी में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।

(b) जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति अन्तर्वीक्षा हेतु सत्यापन प्रक्रिया के क्रम में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उम्मीदवारी अनारक्षित कोटि के लिए अनुमान्य होगी। निर्धारित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

(c) साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों के अनुरूप सभी वांछित प्रमाणपत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

(d) जाति प्रमाण पत्र हेतु विस्तृत निदेश निम्नवत् है:-

(i) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति :-

झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति कोटि एवं अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1754 दिनांक- 25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-IV में प्रमाण पत्र साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय तक झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

